



17/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यर्ष उषण
पत्रावली वास्ते जवाब उल जवाब एवं
क्रामम मुकाम प्रपत्र (वादी सं. 2) एवं
पुनः तलबी प्रति सं. 14 दि. 18/02/26 को
पेश हो।


13/12/25

18⁰²/₂₆

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित।
वादीगण स्वयं अनुपस्थित। अभि. प्रतिवादीगण
भी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण स्वयं अनुपस्थित
हैं। तीन बार कक-कक कर आवाज लगाई
गई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
कुछ समय इंतजार किया लेकिन अभ्यर्ष
अनुपस्थित रहा हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण
दोनों के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण को
गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अन्तर्गत
आदेश 9 नियम 3 CPC (अदम दायरी व
अदम पेशी) में प्रकरण खारिज किया
जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाफ तालीम दाखिल
दफ्तर हो।


18/2/26

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला: सावायकुंड (संज.)

